न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

निर्णय दिनांकः– 25-4-22

अपील संख्याः 66 / 21
(जीसीएमएस संख्या 2021 / 00227)

1. कुम्भाराम पुत्र श्री ईशरराम जाति जाट निवासी चक 5 एसजेएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. छैलाराम पुत्र श्री ईशरराम जाति जाट निवासी चक 5 एसजेएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. ईशरराम पुत्र श्री देवाराम
2. सुरेश उर्फ श्रवण कुमार पुत्र श्री ईशरराम
3. भानुप्रताप पुत्र श्री ईशरराम
4. रामचन्द्र पुत्र श्री ईशरराम
5. जेठाराम पुत्र श्री ईशरराम
6. बस्तीराम पुत्र श्री ईशरराम
7. रूपाराम पुत्र श्री ईशरराम

जाति जाट निवासी चक 5 एसजेएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

8. उपपंजीयक खाजुवाला
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 21–10–2021
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः–

1. श्री हरीश चन्द्र व्यास, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मनीराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाष

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 21–10–2021 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके चक 5 एसजेएम के मुरब्बा नम्बर 58/39 के किला नम्बर 25/2 तादादी 0.2276 हेक्टर, मुरब्बा नम्बर 58/47 के किला नम्बर 1 ता 20 में तादादी 5.0580 हेक्टर कुल तादादी 5.2856 हेक्टर कमाण्ड व चक 6 एसजेएम 'बी के मुरब्बा नम्बर 58/31 के किला नम्बर 10/2 में 0.2276 हेक्टर, किला नम्बर 11/1 में 0.2276 हेक्टर, किला नम्बर 20/1 तादादी 0.2276 हेक्टर, किला नम्बर 22/2 तादादी 0.2276 हेक्टर व किला नम्बर 22 में 0.2259 हेक्टर तादादी 1.1633 हेक्टर कमाण्ड इस प्रकार दोनों चकों में कुल तादादी 6.4489 हेक्टर भूमि अपीलांट् के पिता को बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटित भूमि है। जिस पर अपीलांट् व रेस्पाडेन्ट् संख्या 2 ता 7 का संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट् अपने कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज है तथा मौके पर ढाणी बनाकर निवास कर रहे है। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि के विधिवत विभाजन हेतु वादपत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त वादपत्र के साथ अपीलांट्स द्वारा धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 21–10–2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

उन्होनें आगे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि बताई गई है। जबकि उक्त भूमि बतौर भूमिहीन आवंटित/सम्पति थी जिस पर अदालत मातहत द्वारा कतई

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए धारा टीपी एक्ट की धारा 9 व 54 का उल्लेख करते हुए कथन किया है कि मौखिक बंटवारे की बुनियाद पर कोई व्यक्ति अचल सम्पति पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में धारा 9 व 54 टीपी एक्ट से संबंधित नहीं होकर इस तथ्य पर आधारित है कि क्या परिवार के मुखिया को बतौर भूमिहीन आवंटित भूमि पर परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकार उत्पन्न होते है अथवा नहीं? व वादग्रस्त भूमि के मूल आवंटी द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों को छोड़ते हुए किसी एक या दो सदस्यों को उक्त भूमि के हस्तारन्तरण के अधिकार प्राप्त है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया ना ही आदेश जैर अपील में इस संबंध में कोई टिप्पणी ही अंकित की गई है। अदालत मातहत द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जिसके आठ पुत्र है, उनमें से छः पुत्रों को छोड़ते हुए दो पुत्र अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में गिफट् डीड करते हुए अन्य पुत्रों के विधिक अधिकारों पर कुठाराधात किया गया है। उक्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत होने पर भी अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो त्रूटिपूर्ण आदेश की परिभाषा में आता है।

अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि सयुक्त परिवार की भूमि होने के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया था तथा उसी के आधार पर धोषणा एवं बंटवारें की मांग करते हुए वादग्रस्त भूमि के अन्य दिगर व्यक्तियों को हस्तान्तरण/बेचान करने की स्थिति को ध्यान में रखते अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स अर्थात प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना किसी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकार का कोई विवेचन अंकित किये बिना मात्र सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। न्याय का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि किसी भी आदेश को पारित करने से पूर्व कानून के मूलभूत सिद्वान्तों की पालना करते हुए आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश कानून की नजर में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में विधि के सिद्वान्तों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 5 एसजेएम के मुरब्बा नम्बर 58/39 के किला नम्बर 25/2 तादादी 0.2276 हेक्टर, मुरब्बा नम्बर 58/47 के किला नम्बर 1 ता 20 में तादादी 5.0580 हेक्टर कुल तादादी 5.2856 हेक्टर कमाण्ड व चक 6 एसजेएम 'बी के मुरब्बा नम्बर 58/31 के किला नम्बर 10/2 में 0.2276 हेक्टर, किला नम्बर 11/1 में 0.2276 हेक्टर, किला नम्बर 20/1 तादादी 0.2276 हेक्टर, किला नम्बर 22/2 तादादी 0.2276 हेक्टर व किला नम्बर 22 में 0.2259 हेक्टर तादादी 1.1633 हेक्टर कमाण्ड इस प्रकार दोनों चकों में कुल तादादी 6.4489 हेक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के हस्तान्तरण के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सम्पर्ण अधिकार हासिल होने पर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में गिफ्ट डीड करते हुए अपने अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में छोड़े है, जिसका उन्हें पूर्णतया अधिकार प्राप्त था। वादग्रस्त भूमि से अपीलांट्स का कोई सरोकार नहीं है क्योंकि वादगत् भूमि के आवंटन के समय अपीलांट्स का जन्म ही नहीं हुआ था तथा उक्त भूमि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कभी भी पैतृक सम्पति नहीं रही है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन नहीं पाये जाने व उक्त हस्तान्तरण से अपीलांट्स को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति नहीं के कारण अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत तरीके खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि चूंकि वादगत् भूमि पैतृक सम्पति नहीं होकर रेस्पोडेन्ट की स्वअर्जित सम्पति है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का वादगत् भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार पैदा नहीं होते है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह पाये जाने पर की वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। इस संबंध में कानून का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलांट्स द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र व धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र केवल मात्र वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण रोकने की नियत मात्र से प्रस्तुत किया गया है। जिस पर अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों को दृष्टिगत् रखते हुए यह पाये जाने पर कि वादगत् भूमि पैतृक सम्पति नहीं होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है, तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट्स के किसी प्रकार के हक व हकूक पैदा नहीं होते है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे 2021 पार्ट I पेज 314, डीएनजे 2021 पार्ट II पेज 870, डीएनजे 2021 पार्ट I पेज 112, डीएनजे 2017 पार्ट I पेज 132 व डीएनजे 2022 पार्ट I पेज 302 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि वाके चक 5 एसजेएम के मुरब्बा नम्बर 58/39 के किला नम्बर 25/2 तादादी 0.2276 हेक्टर, मुरब्बा नम्बर 58/47 के किला नम्बर 1 ता 20 में तादादी 5.0580 हेक्टर कुल तादादी 5.2856 हेक्टर कमाण्ड व चक 6 एसजेएम 'बी के मुरब्बा नम्बर 58/31 के किला नम्बर 10/2 में 0.2276 हेक्टर, किला नम्बर 11/1 में 0.2276 हेक्टर, किला नम्बर 20/1 तादादी 0.2276 हेक्टर, किला नम्बर 22/2 तादादी 0.2276 हेक्टर व किला नम्बर 22 में 0.2259 हेक्टर तादादी 1.1633 हेक्टर कमाण्ड इस प्रकार दोनों चकों में कुल तादादी 6.4489 हेक्टर के बाबत् अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जिसके विरूद्व अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट्ा का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि एक संयुक्त परिवार की भूमि है जिस पर उनका बराबर का हक व हिस्सा है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। अतः आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

(3) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में वादगत् भूमि के हक व हकूकों के निर्धारण का प्रश्न उठाने से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी आवश्यक है कि क्या वादग्रस्त भूमि जोकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर भूमिहीन आवंटित भूमि है, उक्त भूमि संयुक्त परिवार की भूमि है अथवा स्वअर्जित श्रेणी की भूमि है व अदालत मातहत द्वारा धारा 212 आरटीए के तहत पारित आदेश जैर अपील विधि के प्रावधानों के अनुसरण में पारित किया गया आदेश है अथवा नहीं?

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(4) इस संबंध में सर्वप्रथम न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि को लेकर प्रस्तुत आवंटन आदेश व परिवार के सदस्यों अर्थात ईशरराम की वंशावली का अवलोकन किया। प्रकरण में ईशरराम की वंशावली निम्न प्रकार हैः–

ईशरराम

कुम्भाराम छैलाराम सुरेश भानुप्रताप रामचन्द्र जेठाराम बस्तीराम रूपाराम

उक्त वंशावली से साबित है कि रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के आठ पुत्र है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर भूमिहीन आवंटित है, जिसकी गिफ्ट डीड रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में की गई है, जिसके अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर स्वअर्जित भूमि प्राप्त थे अथवा नहीं? वादग्रस्त भूमि भूमि स्वअर्जित भूमि की श्रेणी की है अथवा संयुक्त परिवार की भूमि है। इस संबंध में मूलभूत तथ्य तो अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र में तय होने है, परन्तु इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 208 का अवलोकन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टांत के पैरा संख्या 29 में बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटित भूमि को स्वअर्जित सम्पति माना जाये अथवा संयुक्त परिवार की सम्पति माने जाने के विषय को विस्तृत रूप से विचारित करते हुए अभिलिखित किया गया है किः–

जिन व्यक्तियों को "भूमिहीन" श्रेणी में आवंटन किया गया है, उसमें यह बिन्दु विचारणीय है कि "भूमिहीनता" का निर्धारण करते समय यह भी देखा जाता है कि उक्त व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के नाम भी कोई भूमि है अथवा नहीं। यदि परिवार के सदस्यों के नाम भूमि है अथवा पिता की भूमि से भी उक्त व्यक्ति को कोई भूमि मिलने वाली है तो भूमिहीन के रूप में उसे आवंटित की जाने वाली भूमि का मात्रा को उसी अनुपात में कम कर दिया जाता है। न केवल उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत 1975

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के आवंटन नियमों में, अपितु भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 1970 के भूमि आवंटन नियमों में किसी व्यक्ति को भूमिहीन के रूप में भूमि आवंटन करते समय उसकी पात्रता का निर्धारण परिवार के सदस्यों के नाम भूमि की उपलब्धता को देखते हुए ही किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि भूमिहीन सम्बन्धी पात्रता व्यक्ति की व्यक्तिगत् नहीं अपितु परिवार की साझा पात्रता होती है, और भूमि का आवंटन भी भूमिहीन परिवार को, परिवार के मुखिया के नाम से किया जाता है। चूंकि पूरे परिवार के नाम आवंटन आदेश जारी किया जाना असुविधाजनक होता है, अतः सुविधा के लिये भूमि आवंटन का आदेश परिवार के मुख्या के नाम से जारी किया जाता है। हमारा यह सुदृढ़ मत है कि इस प्रकार भूमिहीनता के आधार पर आवंटित की गई भूमि आवंटी व्यक्ति की निजी सम्पति अथवा स्वअर्जित सम्पति नहीं होकर परिवार की साझा सम्पति होती है। हमारे इस निष्कर्ष का एक आधार यह भी है कि भूमिहीन व्यक्ति को भूमि आवंटन में प्राथमिकता देना सरकारों के सामाजिक सरोकार का हिस्सा है, जिसका उद्वेश्य भूमिहीन परिवार को कृषि भूमि के रूप में आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना है ताकि वह परिवार अपनी आजीविका चला सके। अगर ऐसे भूमिहीन व्यक्ति को आवंटित भूमि को उसकी निजी व स्व—अर्जत सम्पति मान कर वसीयत द्वारा निस्तारण की छूट दे दी गई तो इसका परिणाम यह होगा कि आवंटी व्यक्ति उसे आवंटित भूमि को वसीयत द्वारा किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित करके अपने भूमिहीन परिवार को निराश्रित छोड़ देगा। अगर ऐसा होता है भूमिहीन आवंटन का प्रयोजन ही विफल हो जायेगा।

इसी कम में पैरा संख्या 30 में अभिलिखित किया गया है कि अगर परिवार की वित्तीय आवश्यकताएँ विवश करती है तो उन्हें पूरी करने के लिये भूमि का बेचान किया जा सकता है किन्तु किसी बाहरी व्यक्ति अथवा परिवार के ही एक सदस्य के नाम वसीयत की जाती है तो यह कार्यवाही पूरे परिवार के हितों के विरूद्व होने से इसे न्यायोचित नहीं का जा सकता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रथम दृष्टया ही साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटित भूमि थी। जिसकी गिफ्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में किया जाना उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत नहीं माना जा सकता।

(5) प्रस्तुत मामलें में जहॉ तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित आदेश उक्त धारा के प्रावधानों के अनुसरण में पारित किया गया है अथवा नहीं? इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर टीपी एक्ट की धारा 9 व 54 को आधार बनाते हुए वादग्रस्त भूमि को स्वअर्जित भूमि मानते हुए व रिकार्डेड खातेदार को स्थगन आदेश जारी करने को कोई आधार होने के कारण खारिज किया गया है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवादित बिन्दु वादग्रस्त भूमि के संयुक्त परिवार की भूमि होने अथवा स्वअर्जित होने के संबंध में है। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय जोकि रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में किया गया है, में प्रस्तुत प्रकरण में किस आधार पर रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पाये जाते है, के संबंध में अपना अभिवचन/खुलासा नहीं किया गया है। जबकि धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र को निर्धारित करते समय उपरोक्त तीनों बिन्दुओं का निर्धारण किया जाना आज्ञापक/अनिवार्य (Mandatory) है। अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। इस प्रकार आदेश जैर अपील अपने आप में अपरिक्वपूर्ण व न्यायिक सिद्वान्तों के विपरीत पारित किये गये आदेश की परिभाषा में आता है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्याय की यह मंशा रही है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य सम्पति को लेकर विवाद हो तथा पक्षकारों के मध्य न्यायालय के समक्ष वाद जैरकार हो तो ऐसीस्थिति में दावा दायरी के दिन के मौके व राजस्व रिकार्ड यथास्थित कायम रखी जानी चाहिए ताकि पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद उत्पन्न न हो तथा सम्पति की सुरक्षा की जा सके। प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारों के मध्य वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि की सुरक्षा एवं सरंक्षणा को ध्यान में रखते व अन्य पेचिदगियॉ यथा मौके अथवा रिकार्ड की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त भूमि मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति वाद के निर्णय तक कायम रखने के आदेश प्रदान करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील काबिल निरस्त होने से निरस्त किया जाता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांटस् की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का आदेश दिनांक 21—10—2021 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 25/4/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

25/4/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर